रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272610
SG-DL-E-15052026-272610

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 47
No. 133]	DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948	[N. C. T. D. No. 47

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली मेडिकल काउंसिल

अधिसूचना

दिल्ली, 15 मई, 2026

फा. सं. डीएमसी/रजिस्ट्रेशन/एफ.2/2/2026/339674.—जबकि, दिल्ली चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1997 और दिल्ली चिकित्सा परिषद नियमावली, 2003 के प्रावधानों की जांच दिल्ली चिकित्सा परिषद में पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में की गई है;

और जबकि, यह देखा गया है कि ऐसे किसी चिकित्सा व्यवसायी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है जो:

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अधीनप्रथम, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखता हो; तथा

(ख) भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य राष्ट्रीय रजिस्टर में पहले से पंजीकृत है।

अब इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चिकित्सा करने के इच्छुक आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली (एलोपैथी) के चिकित्सकों को एतद द्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की

किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकृत आवेदक, जो दिल्ली चिकित्सा परिषद में पंजीकरण कराना चाहता है, उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई स्व-घोषणा के आधार पर दिल्ली चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए विचाराणीय होंगे।

दिल्ली चिकित्सा परिषद को कोई अतिरिक्त वचन पत्र/अनुमोदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. वत्सला अग्रवाल, डीजीएचएस एवं रजिस्ट्रार डीएमसी

DELHI MEDICAL COUNCIL

NOTIFICATION

Delhi, the 15th May, 2026

F. No. DMC/Reg./F.2/2/2026/339674.— Whereas, the provisions of the Delhi Medical Council Act, 1997 and the Delhi Medical Council Rules, 2003 have been examined with regard to the requirement of obtaining a No Objection Certificate (NOC) for registration with the Delhi Medical Council;

And whereas, it has been observed that there is no provision mandating the submission of a No Objection Certificate (NOC) from a medical practitioner who:

(a) possesses a recognized medical qualification as specified in the First, Second, or Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956; and

(b) is already registered with any State Medical Council (SMC) of any State or Union Territory in India, or the National Medical Register (NMR) or any other National Register recognized by the Government of India.

Now, therefore, it is hereby informed to practitioners of modern scientific system of medicine (allopathy) who intends to practice in the NCT of Delhi that an applicant who is registered with any State Medical Council (SMC) of any state or Union Territory in India, or the National Medical Register (NMR) or any other National Register recognized by the Government of India and seeks registration with the Delhi Medical Council shall be considered for registration under the Delhi Medical Council Act, 1997 on the basis of the self-declaration furnished by the applicant in the online application form.

No additional undertaking/approval is required to be submitted to the Delhi Medical Council.

DR. VATSALA AGGARWAL, DGHS & Registrar DMC

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.15 22:59:04 +05'30'